

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्ण संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों के अनुरूप है।

दिनांक:—07.08.2018

स्थान:—रामपुर

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रामपुर